

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना

अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड चिन्यालीसौड उत्तरकाशी

Tele Phone No:-01371-237093
Fax No:-01371-237093
Email ID:eepmgsyidchinyalisaur@rediffmail.com

पत्रांक:-

्रै पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख० / चि०सौड़

दिनांक 15 जुलाई, 2020

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग कोटबंगला उत्तरकाशी

विषय:--

जनपद उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत बादसी गौलोकधाम खाण्ड मोटर मार्ग से कटखण मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.89 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव—FP/UK/ROAD /32670/2018 के सम्बन्ध में |

सन्दर्भ:-

8बी / यू.सी.पी. / 06 / 19 / 2020 / एफ0सी0 / 2753 Dated on 26/02/2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में विषयगत प्रकरण पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर—केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़, देहरादून द्वारा लगाई गई ऑनलाईन आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है—

जा गरार । जा गराया यम । मनानुसार । गरायम् । यम जायम जायस्ययम् यम्प्याता हिंतु प्रायस ह		
क0	आपत्ति	निराकरण
सं0		
1.	In village level committee meeting proceedings, name	Name of village as Katkhan has been
	of Gram Panchayat is mentioned as katkhan but name	corrected in Para 3 rd of village level
	of village is mentioned as Jogata Talla in the 3 rd para	committee meeting certificate and
	which is required to be corrected.	uploded in adtional information details
		section.
2.	In the name of Wild Life Management Plan, as	This objection will be resolved by DFO
	estimateof Rs.3864000/- has been submitted with the	Uttarkashi.
	proposal which cannot be approved as the items	
	mentioned in the estimate is not relevant to this small	
	project. A proper sceintific WL Management Plan	·
	covering the details like the scenario after the	
	construction of project, impact ofproject on Wildlife	
	of the area and finally the mitigation measures to	•1 ×*1
	minimize the impact of project on Wildlife is required	
	to be submitted.	
3.	It is seen that plantation scheme for ten timed the	This objection will be resolved by DFO
	number of trees to be felled is submitted. Since, the	Uttarkashi.
	area of forest land proposed for diversion is 0.89 ha	
	or for planting 1800 trees.	
4.	DFO has not given any comment against para 5.5 of	This objection will be resolved by DFO
1	Site Inspection Report. Besides, there is some hand	Uttarkashi.
	written text added later. State Government may submit	
	the SIR of DFO mentioning comments against each	
	para.	
5.	It is seen from data given at para-14 of Part II that the	This objection will be resolved by
	CA stipulated i.e. 2350.58 ha is not commensurate to	DFO Uttarkashi.
1	the area of forest land diverted i.e. 1540,68 ha and	or o ottarkasırı,
	progress of CA i.e. 2563.75 ha is more than CA	
	stipulated. Logically CA stipulated should be double	
4	the area of forest land diverted.	
(- 1		

प्रस्तावित मार्ग से बाँज के भी अनेक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बादसी तथा इसे मुख्य ग्राम से आगे तोक तक बढ़ाये जाने का कोई गौलोकधाम खाण्ड मोटर मार्ग से प्रस्तावित कटखन औचित्य नही है। अतः राज्य सरकार मुख्य ग्राम 'कटखन' मोटर मार्ग का अन्तिम बिन्दु क्यारगटी तोक उत्तक ही प्रस्ताव को पुनरीक्षित कर प्रस्तुत करें। कटखन के अन्तर्गत आता है जिसमें अनुसूचि

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत बादसी मोटर मार्ग का अन्तिम बिन्दू क्यारगटी तोक ग्राम कटखन के अन्तर्गत आता है जिसमें अनुसूचित जाति एवं अन्य ग्रामीणों के भवन छान एवं कृषि भूमि स्थित है। ग्राम कटखन की क्यारगटी नामि तोक सहित ग्राम कटखन कोड संख्या 0057300 जनसंख्या (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) कुल आबादी 251 है, ग्राम कटखन की प्रस्तावित मोटर मार्ग के प्रारम्भिक बिन्दु से पैदल दूरी 2.00 किमी0 है, क्यारगटी तोक में ग्राम पंचायत कटखन के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल एवं हाईस्कूल का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, क्यारगटी तोक में 500 मी0 दूरी पर राष्ट्रीय सन्त श्री गोपालमणी जी द्वारा गायों एवं आवारा पशुओं के संरक्षण हेतु गोशाला एवं आश्रम बनवाया गया है जिसमें देश एवं विदेश के पर्यटकों का आवागमन लगा रहता है एवं उक्त क्षेत्र का धार्मिक एवं पर्यटक स्थल है, ग्राम कटखन के क्यारगटी नामि तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण ग्राम पंचायत की सिर्वसहमति से एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुसार प्रस्तावित है एवं प्रस्तावित मोटर मार्ग में मात्र 27 बांज के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जो कि न्यूनतम है। मोटर मार्ग निर्माण कार्य लम्बाई 2.20 किमी की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्राप्त है। अतः मोटर मार्ग की प्रस्तावित लम्बाई 2.20 किमी० तक मार्ग निर्माण किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः यह प्रमाण–पत्र क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारियों से हस्ताक्षरित कर addtional information details section में अपलोड कर दिया गया है।

> अधिशासी अभियन्ता प्री०एम०जी०एम०वाई० सिंचाई खण्ड भे चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।